



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-01/कु.उ.नि.-1324-बजट-2025-26, दिनांक 01.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० को निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 83.75 लाख (₹0 तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2851000010300 (कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	01 वेतन	42,47,000 (रुपये बयालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	02 मजदूरी	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
3	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	27,61,000 (रुपये सत्ताईस लाख इकसठ हजार मात्र)
4	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	04 यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
5	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	06 अन्य भत्ते	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)
6	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
9	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
10	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
11	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	42 अन्य व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
12	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

13	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
14	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
16	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
17	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	005	2851000010300 कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
	कुल			83,75,000 (रुपये तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)
महायोग				83,75,000 (रुपये तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-14/2026/163/59-2-2026/001-1804223, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।